

न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-657 / 2008

संस्थित दिनांक-13.10.2008

फाईलिंग क्र.234503000542008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी खापा बफर जोन,
कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला

परिवादी

// **विरुद्ध** //

झामसिंह वल्द बलीराम, उम्र-40 वर्ष,
निवासी-ग्राम सांढाटोला झुलुप, थाना बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-10/01/2017 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा-9, 39 एवं सहपठित धारा-51 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-05.05.2008 को शाम 7:00 बजे अंतर्गत बफर जोन कान्हा टाईगर रिजर्व परिक्षेत्र खापा में हरियल एवं टिटहरी पक्षी के चोप में चिपचिपा पदार्थ लगाकर फंसाकर शिकार किया।

2- परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-05.05.2008 को वन परिक्षेत्र खापा बफर जोन के गश्ती दल राजकुमार, रामूसिंह, सम्पतसिंह, रामप्रकाश ने बफर जोन क्षेत्र में एक व्यक्ति वृक्ष पर चढ़ा हुआ दिखाई दिया जो बांस की लकड़ी में चोप(चिपचिपा पदार्थ) लगाकर वृक्ष की डाली में बांधकर फंसा हुआ पक्षी निकाल रहा था। आरोपी को नीचे उतारकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम झामसिंह पिता बलीराम, निवासी-ग्राम सांढाटोला झुलुप रहना बताया था। आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया, जिसमें उसने बताया कि उसने मांस खाने के लिए उन पक्षियों का शिकार किया है। उपरोक्त आधार पर आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक-2917/13, धारा-9, 39, 51, 2(16), 2(35) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपी के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा-9, 39 एवं सहपठित धारा-51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-05.05.2008 को शाम 7:00 बजे अंतर्गत बफर जोन कान्हा टाईगर रिजर्व परिक्षेत्र खापा में हरियल एवं टिटहरी पक्षी के चोप में चिपचिपा पदार्थ लगाकर फंसाकर शिकार किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— बुद्धनसिंह प.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि दिनांक-05.05.2008 को वह कुमादेही वृत्त में वनपाल के पद पर पदस्थ था। वह आरोपी झामसिंह को जानता है। आरोपी ने कक्ष क्रमांक-1126 में वृक्ष में फांदा लगाकर टिटहरी वह हरियल पक्षी फंसाया था। आरोपी ने मांस खाने के उद्देश्य से उन पक्षियों को पकड़ा था। उसके समक्ष मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-1, जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किये गए थे, जिनके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी से पक्षी एवं चोप प्लास्टिक जप्त किया गया था तथा उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था। पक्षियों को जलाने का पंचनामा प्रदर्श पी-4 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी के बयान प्रदर्श पी-5 लेख किये गए थे, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-11 अनुसार साक्षीगण के बयान लिये गए थे, जिनके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय वह मौके पर उपस्थित नहीं था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय वह वनरक्षक शिवचंद ठाकरे के साथ नहीं गया था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि आरोपी के विरुद्ध लिखापढ़ी घटना के दूसरे दिन परिक्षेत्र कार्यालय खापा में की गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वनरक्षक ने उसे बताया था कि घटना के समय शाम हो गई थी, इसलिए वह दूसरे दिन आरोपी को परिक्षेत्र कार्यालय लेकर आया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि वनरक्षक ने उसके कहने पर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया था।

6— आर.के. सिंह प.सा.2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि दिनांक-13.10.2008 को उसके पास परिक्षेत्र अधिकारी खापा का प्रभार था। उस समय वह मुक्की परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा संपूर्ण विवेचना पश्चात् परिवादपत्र न्यायालय समक्ष पेश किया गया है। मौकापंचनामा प्रदर्श पी-1, जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-2, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-3, पुलिस थाने को भेजी गई गिरफ्तारी की सूचना प्रदर्श पी-6 तथा साक्षियों के कथन प्रदर्श पी-7 लगायत 11 पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना का मौकानक्शा प्रदर्श पी-12 व मृत पक्षियों को नष्ट करने के संबंध में तैयार करने का पंचनामा प्रदर्श पी-13 के दस्तावेजों में उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि जांचकर्ता अधिकारी ने जांच में आरोपी द्वारा शिकार करना पाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने अनुसंधान नहीं किया, मात्र सत्यापन की कार्यवाही की थी।

7— शिवचंद ठाकरे प.सा.3 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-05.05.2008 को वनरक्षक के पद पर सरेखा बीट में पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे वाईल्ड लाईफ से जानकारी प्राप्त हुई कि थी कि एक व्यक्ति हरियल और टिटहरे पक्षी को लकड़ी में फंसाकर पकड़े हुए है। उक्त सूचना पर वह मौके पर गया आरोपी के पास दोनों पक्षी पाए गए थे, जिसमें एक पक्षी टिटहेरा जीवित था तथा एक पक्षी मृत था। आरोपी ने पक्षियों को मांस खाने के लिए पकड़ा था। उसने आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-14 की कार्यवाही की थी, जिसके अ से अ तथा बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी से पक्षियों की जप्ती कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-15 बनाया गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मौकापंचनामा प्रदर्श पी-1 द्वारा किया गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी से पक्षी को जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी का गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-3 परिक्षेत्र सहायक के समक्ष तैयार किया गया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मृत पक्षियों को जलाने का पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी ज्ञानसिंह का बयान परिक्षेत्र सहायक के समक्ष उसके द्वारा लिखा गया था, जो प्रदर्श पी-5 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-12 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना के संबंध में उसने अपना बयान प्रदर्श पी-7 परिक्षेत्र सहायक खापा को दिया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

उसने साक्षी रामकुमार, रानूसिंह, संपतसिंह तथा रामप्रकाश के बयान उनके बताए अनुसार परिक्षेत्र सहायक खापा के समक्ष लेख किये थे, जो प्रदर्श पी-8 लगायत प्रदर्श पी-11 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी ने पक्षियों को मांस खाने के लिए पकड़ना स्वीकार किया था, जिसके संबंध में उसके पास कोई लायसेंस नहीं था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि जब वह घटनास्थल पहुंचा तब शाम के 7:00 बज गए थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जब वह घटनास्थल पहुंचा, तब आरोपी पेड़ पर चढ़ा हुआ नहीं मिला था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी कहा है कि जप्ती की कार्यवाही शाम को 5:30 बजे के लगभग हुई थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि शक के आधार पर आरोपी पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि हरियल पक्षी पालतू पक्षी नहीं है। साक्षी ने यह भी कहा है कि जप्त संपत्ति को परीक्षण हेतु भेजा गया था या नहीं इसकी उसे जानकारी नहीं है।

8— रामकुमार ठाकुर प.सा.4 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-05.05.2008 को किसली परिक्षेत्र में सेनबल की पोस्ट में था। घटना दिनांक को वह गश्ती दल के साथ गश्ती में गया था, तब वह भगवान नाला के किनारे सरेखा बीट गया, जहां आरोपी झामसिंह पेड़ में चढ़ा हुआ था, जिसके पास एक जिंदा हरियल और एक मृत टिटहरी पक्षी थे और एक डिब्बा चोप से भरा था, जिसकी सूचना उसने वायलेस से आर.ओ. को दी थी। घटना के समय पक्षियों के पंख में चोप (चिपचिपा पदार्थ) आरोपी के पास पाया था। घटना के समय आरोपी ईमली के पेड़ में चढ़कर चोप लगा रहा था। उसके पूर्व उसने चोप लगाकर दो पक्षियों को फंसा लिया था। घटनास्थल पर ही आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर. काटा गया था। आरोपी से एक नग हरियल पक्षी तथा एक नग टिटहरी पक्षी वनरक्षक सरेखा द्वारा जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-15 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-1 परिक्षेत्र सहायक की उपस्थिति में बनाया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपना बयान प्रदर्श पी-8 परिक्षेत्र अधिकारी को दिया था, जिसके द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना के समय सम्पत कुसरे, रामू मरावी, आर. पी. कछवा और अन्य लोग उपस्थित थे। आरोपी ने मांस खाने के लिए पक्षियों को पकड़ा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है और वहां कोई भी आ-जा सकता है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि जब वह घटनास्थल पहुंचा था, तब वहां अंधेरा हो गया था। साक्षी ने कहा

है कि घटना लगभग शाम 5:00 बजे की है। साक्षी का कहना है कि शिवचंद ठाकरे को वायरलेस नहीं किया गया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि वह वन विभाग में कार्यरत है, इसलिए उच्चाधिकारियों के कहने पर उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे, परंतु यह स्वीकार किया है कि जप्तीपत्रक में क्या लिखा था, यह उसने पढ़कर नहीं देखा था और न ही उसे पढ़कर सुनाया गया था।

9— साक्षी रामप्रकाश प.सा.5 का कहना है कि वह आरोपी झामसिंह को पहचानता है। घटना दिनांक-05.05.2008 की है। उस समय वह सरेखा बीट में सैनबल के पद पर पदस्थ था। घटना के समय वे लोग गश्ती के लिए बफरजोन क्षेत्र गए थे, तब देखा कि आरोपी झामसिंह एक वृक्ष में चढ़कर बांस की लकड़ी में चोप लगा रहा था, वहीं पर एक मरा हुआ पक्षी पड़ा हुआ था, जो टिटहरी प्रजाति का था और एक हरियल पक्षी था, जो जिन्दा था। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम झाम निवासी ग्राम सांडाटोला बताया था और मांस खाने के लिए उन पक्षियों को पकड़ना बताया था। घटना की सूचना उसने उच्चाधिकारियों को दी थी। आरोपी से जप्त किये गए हरियल पक्षी और टिटहरी पक्षी का जप्तीनामा उसके समक्ष तैयार किया गया था। पंचनामा प्रदर्श पी-15 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का मौकापंचनामा प्रदर्श पी-1 उसके समक्ष तैयार किया गया था, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपने बयान प्रदर्श पी-11 सरेखा बीट प्रभारी ठाकरे को दिया था, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल बफर क्षेत्र की भूमि का था या भूमि स्वामी क्षेत्र का था, वह सही-सही नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी कहा है कि मौकापंचनामा सरेखा नाके पर तैयार किया गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी को वह नहीं जानता और घटना के पूर्व भी वह नहीं जानता था।

10— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध वन्यप्राणी पक्षी हरियल एवं टिटहरी के अवैध शिकार करने का अभियोग है। परिवादी साक्षी बुद्धनसिंह परते प.सा.1, आर.के. सिंह प.सा.2, शिवचंद ठाकरे प.सा.3, रामकुमार ठाकुर प.सा.4, रामप्रकाश प.सा.5 ने घटना का विवरण लगभग समान रूप से अपने न्यायालयीन परीक्षण में किया है और कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी वृक्ष में चढ़कर चोप(चिपचिपा पदार्थ) का उपयोग कर पक्षियों को फंसाने का कार्य कर रहा था। मौके पर ही आरोपी को पकड़ा गया था और उसके पास से एक हरियल पक्षी व एक टिटहरी पक्षी जप्त किया गया था। आरोपी ने उपरोक्त पक्षियों का मांस खाने के उद्देश्य से उन्हें पकड़ा

था। मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया गया था। आरोपी के पास से उपरोक्त पक्षियों को जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था। इसके पश्चात् विवेचना की शेष कार्यवाही की गई थी, जिसमें प्रदर्श पी-3 लगायत प्रदर्श पी-15 के दस्तावेज तैयार किये गए थे। परिवादी साक्षी बुद्धनसिंह परते प.सा.1, आर. के. सिंह प.सा.2, शिवचंद ठाकरे प.सा.3, रामकुमार ठाकुर प.सा.4, रामप्रकाश प.सा.5 अपने प्रतिपरीक्षण में इस बिन्दु पर अखण्डित रहें हैं कि घटना दिनांक को आरोपी के आधिपत्य से वन्यपक्षी टिटहरी व हरियल जप्त नहीं किये गए थे। इस बिन्दु पर भी उपरोक्त साक्षी अखण्डित रहें हैं कि आरोपी चिपचिपा पदार्थ लगाकर उन पक्षियों को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। दस्तावेजों को मौके पर तैयार किया गया था अथवा कार्यालय में तैयार किया गया था, इस बिन्दु पर परिवादी साक्षियों द्वारा कुछ विरोधाभासी तथ्य अपने प्रतिपरीक्षण में प्रकट किये गए हैं, परंतु मुख्य घटना की आरोपी द्वारा वन्यपक्षी हरियल व टिटहरी का शिकार नहीं किया गया था, इस बिन्दु पर कोई भी विरोधाभासी कथन परिवादी साक्षियों द्वारा अपने न्यायालयीन परीक्षण में नहीं किया गया है। शिकार किये गए पक्षी एवं आरोपी बफर जोन क्षेत्र में पकड़े गए थे अथवा सामान्य स्थान से पकड़े गए थे, यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जिन पक्षियों का शिकार किया गया था, वे पक्षी वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में उल्लेखित हैं, इसलिए उनका किसी भी स्थान पर शिकार किया जाना प्रतिषेधित है। आरोपी के आधिपत्य से उपरोक्त पक्षी जो कि शासकीय संपत्ति हैं, को जप्त किया जाना भी प्रमाणित पाया जाता है। उपरोक्त स्थिति में आरोपी को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा-9, 39 एवं सहपठित धारा-51 के अपराध में सिद्धदोष पाया जाता है।

11— आरोपी द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुये तथा इस प्रकार के अपराध से वन्यप्राणी को हो रहे नुकसान एवं राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा के प्रभावित होने से आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अतः दंड के प्रश्न पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता को सुने जाने हेतु निर्णय कुछ देर बाद पुनः प्रस्तुत हो।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर म0प्र0

पुनश्च:-

12— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता को दंड के प्रश्न पर सुना गया। उनका कहना है कि आरोपी द्वारा यह अपराध प्रथम बार किया गया है। आरोपी वनक्षेत्र का

ही रहने वाला है, इसलिए उसे नियमों की जानकारी नहीं थी। अतः आरोपी को सरल दंड आदेश दिया जावे।

13— आरोपी के द्वारा व वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-9, 39 एवं सहपठित धारा-51 के अंतर्गत अपराध किया जाना प्रमाणित पाया गया है। आरोपी द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 4 में वर्णित पक्षियों के शिकार के लिए सिद्धदोष पाया गया है। आरोपी वर्ष 2008 से विचारण का सामना कर रहा है। समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपी झामसिंह को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-9, 39 एवं सहपठित धारा-51 के अपराध के लिए न्यायालय अवसान अवधि तक का कारावास तथा 2000/- (दो हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि न चुकाये जाने की दशा में आरोपी को 1 माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

14— प्रकरण में आरोपी दिनांक-06.05.2008 से दिनांक-19.05.2008 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जाये।

15— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द0प्र0सं0 की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

16— आरोपी को निर्णय की एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदान कि जावे।

17— प्रकरण में जप्तशुदा मृत पक्षियों को पूर्व में ही न्यायालय के आदेश से नष्ट किया जा चुका है, इसलिए प्रकरण में जप्तशुदा पक्षियों के विषय में संपत्ति निस्तारण का कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

**निर्णय खुले न्यायालय में घोषित मेरे निर्देश पर टंकित किया।
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित
किया गया।**

(श्रीष कैलाश शुक्ल) (श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट बैहर, जिला बालाघाट